



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1936 (श०)

(सं० पटना 182) पटना, वृहस्पतिवार, 15 जनवरी 2015

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

15 जनवरी 2015

एस०ओ० 3, दिनांक 15 जनवरी 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा—14 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल समय—समय पर यथा संशोधित वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 24, दिनांक 24.03.2005 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या—6 के स्तम्भ 3 में प्रविष्टि “16.00 %” को प्रविष्टि “18.00 %” द्वारा तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं।

[सं० बिक्री—कर / संशोधन—०४ / २०१४—२६९]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

15 जनवरी 2015

एस०ओ० 4, एस०ओ० 3, दिनांक 15 जनवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री—कर / संशोधन—०४ / २०१४—२७०]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,

वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 15th January 2015

S.O. 3, dated 15th January 2015—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to substitute the entry “ 16.00 % ” in Column no. 3

of serial no. 6 of the table appended to Commercial Taxed Department Notification No. S.O. 24 dated 24th March, 2005 as amended from time to time, by the following entry “ 18.00 % ” with immediate effect.

[No. Bikri-kar/Sansodhan-04/2014-269]

By order of the Governor of Bihar,
DR. E.L.S.N. BALA PRASAD,
Commissioner-cum-Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 182-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>